निग० 1379-II/16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– लालसिंह पिता थोबन सिंह, 2– खिलान सिंह पिता थोबन सिंह,

3– मुलाम सिंह पिता थोबन सिंह ,

निबासी ग्राम हरदुआ जामशा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह

................आवेदकगण

वनाम

1– उमराव सीग पिता रूपसींग

2– भगवान सींग पिता रूपसींग

निबासी ग्राम हिनौता उदेशा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी मौजा फतेहपुर, प0ह0नं0 07, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह की नामांतरण पंजी बर्ष 1997–98 के कमांक 72 पर सरपंच द्वारा स्वीकृत नामांतरण आदेश प्रस्ताव 27/04/1998 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम मौजा फतेहपुर, प0ह0नं0 07, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह में तांतूसींग के नाम से ग्राम हरदुआ जामशा , आमौनी खुर्द , सिमरी उददेशा, लखर कलॉ एवं फतेहपुर में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमियां राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1373 / II / 2016 जिला– दमोह

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश **लालसिंह व अन्य वनाम उमरावसिंह व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-5-16.	1– आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित, उनके द्वारा यह निगरानी मौजा फतेहपुर, प0ह0नं0 07, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह की नामांतरण पंजी कमांक 72, बर्ष 1997–98 पर, सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुर वि0 खं0 बटियागढ़, जिला दमोह द्वारा स्वीकृत नामांतरण दिनांक 27 / 04 / 1998 के बिरूद्व प्रस्तुत की है। 2– यह कि आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनत्र में लेख किये गये हैं। मैंने प्रकरण एवं उसके साथ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अनुसार तांतूसींग के नाम से ग्राम फतेहपुर, प0ह0नं0 07, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह के साथ साथ ग्राम हरदुआ जामशा , आमौनी खुर्द , सिमरी उददेशा, लखर कलॉ में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमियां राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थीं। उपरोक्त भूमियों के संबंध में तांतू सींग द्वारा एक हिवानामा कीमती 2000 / – आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 21 / 09 / 1964 को लेखबद्व कराकर दिनांक 21 / 09 / 1964 को ही उपपंजीयक हटा के समक्ष पंजीबद्व करवाया गया था। उपरोक्त हिबानामा के आधार पर तांतूसींग की मृत्यु के उपरांत ग्राम हरदुआ जामशा, आमौनी खुर्द, सिमरी उददेशा, लखर कलॉ की भूमियों का नामांतरण तत्समय ही आवेदकगण के नाम हिवानामा के आधार पर कर दिया गया था, जिसके नामांतरण आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियो की छाया प्रतियां आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कीं गई हैं। आवेदकगण की ओर से पटवारी फर्द बंटवारा प्रतिवेदन दिनांक 11 / 06 / 2014 पंचनामा 09 / 01 / 2014 की प्रमाणित	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 1379/IV/2016	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कीं गई हैं, जिसमें वादभूमि पर आवेदकण का कब्जा बताया गया है। आवेदकगण की ओरे से उनके द्वारा हिवानामा की छाया प्रति प्रस्तुत की तथा असल भी बहस के दौरान अवलोकन वावद प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार तातूसींग द्वारा आवेदकगण को पूरी जायजाद का हकदार माना है। मैंने प्रश्नाधीन नामांतरण पंजी का भी अवलोकन किया। उपरोक्त नामांतरण पंजी कमाक 72 पर ना तो किसी भी पंच/ग्रामबासी के हस्ताक्षर हैं, ना ही इश्तहार जारी होना पाया जाता है। सहखातेदारों या फिर अनावेदकगण तक के हस्ताक्षर पंजी पर नहीं हैं। मात्र पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुर के हस्ताक्षर हैं। ग्राम पंचायत सरपंच को नामांतरण प्रमाणित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, वह मात्र प्रस्ताव तैयार करके सक्षम नायब तहसीलदार/तहसीलदार के समक्ष भेजेंगे। जिसके आधार पर उपरोक्त नामांतरण स्वीकृत अस्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार संबंधित नायब तहसीलदार/तहसीलदार को होगा। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, उपरोक्त नामांतरण पंजी कमांक 72 पर पारित आदेश विधि एवं प्रकिया बिरूद्व होने से निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है हिवानामा एवं उसके आधार पर पूर्व में हुये अविवादित नामांतरणों के आधार पर, ग्राम फतेहपुर की वादभूमि खसरा नंबर 239 रकवा 1.47 तथा खसरा नंबर 285/1 रकवा 0.73 हैक्टेयर के 1/3 हिस्सा पर आवेदकगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे। प्रकरण का परिणम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य